

Haryana Government Gazette Extraordinary

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 207-2021/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, DECEMBER 13, 2021 (AGRAHAYANA 22, 1943 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 13th December, 2021

No. 29-HLA of 2021/ **85** /**31354.**— The Haryana Private Universities (Amendment) Bill, 2021 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly:-

Bill No. 29-HLA of 2021

THE HARYANA PRIVATE UNIVERSITIES (AMENDMENT)

BILL, 2021

A

BILL

further to amend the Haryana Private Universities Act, 2006.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Private Universities (Amendment) Act, 2021.

Short title.

2. In the Schedule to the Haryana Private Universities Act, 2006 after serial number 24 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be added, namely:-

"25. Geeta University

District Panipat"

Amendment of Schedule to Haryana Act 32 of 2006.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There is a need for creation and expansion of educational institutions for improving opportunities of higher education for the youth of the State. In order to accommodate the unprecedented growth of students in higher education, and also to cross the target of 50% gross enrolment ratio (GER), as per National Education Policy, 2020 we need to roughly double the number of institutions at all levels by 2021. The government intervention would not be adequate to meet this benchmark in higher education. We need to enlist the participation of private sector in a major way. Haryana Private Universities Act, 2006 has been brought essentially to rope in private sector to supplement the initiative of Government in expanding the capacity in higher education and upscaling its standards.

To achieve the objectives enshrined in the Act, proposal has been made to setup of Geeta University in Panipat.

Hence, this Bill.

KANWAR PAL, Education Minister, Haryana.

Chandigarh: The 13th December, 2021. R. K. NANDAL, Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2021 का विधेयक संख्या 29 एच.एल.ए.

हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. यह अधिनियम हरियाणा निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021, कहा जा सकता है।

संक्षिप्त नाम।

2. हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की अनुसूची में, क्रम संख्या 24 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां जोड़ दी जाएंगी, अर्थात्:—

2006 के हरियाणा अधिनियम 32 की अनुसूची का संशोधन।

"25. गीता विश्वविद्यालय

जिला पानीपत''।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

राज्य के युवाओं को उच्चतर शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करने हेतू शैक्षणिक संस्थाओं की संरचना और विस्तार की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों की अप्रत्याशित वृद्वि को समायोजित करने की व्यवस्था में और 50% सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार प्राप्त करने के लिए हमें सभी स्तरों पर वर्ष 2021 तक संस्थाओं की संख्या में मोटे तौर पर दोहरी वृद्वि करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप पर्याप्त नहीं होगा। हमें निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रमुख रूप में शामिल करने की आवश्यकता है। उच्चतर शिक्षा और इसके मानकों के पैमाने की क्षमता का विस्तार करने में सरकार की पहल के अनुपूरक में हरियाणा निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 को अनिवार्यतः लाया गया है।

इसके अतिरिक्त अधिनियम में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतू जिला पानीपत में गीता विश्वविद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से एक प्रस्ताव का प्रतिपादन किया गया है।

अतः बिल प्रस्तुत है ।

कंवर पाल, शिक्षा मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ : दिनांक 13 दिसम्बर, 2021. आर० के० नांदल, सचिव।

9415—H.V.S.—H.G.P. Pkl.